के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इन्हें शीघ्र लागू किया जा सके । सरकार भी दोनों विश्वविद्यालयों के लिए स्थान चयन समितियां गठित करने पर विचार कर रही है ।

Violation of allotment norms for residential accommodation by NDMC

*371. SHRI ANANT RAM JAISWAL: - SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Exclusive Type-V NDMC flats have been allotted to junior officials, select officials infringing prescribed entitlement norms laid down by the Central Government; and

(b) if so, the reasons therefor and whether any action has been taken by Government against these allotments, if so, the details thereof and if- not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) No, Sir. The New Delhi Municipal Council have reported that there are no 'Exclusive' Tpye-V NDMC flats. The allotment of quarters/flats to its offcers/employees is made as per rules approved by the Council.:

(b) In view of the above, question does not arise.

Take over of Museum by ASI in West Bengal

*372.. SHRI JOYANTA ROY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the law under which the Hazarduari Museum and Imambara was taken over by the Archaeological Survey of India; and

(h) how many working staffs were absorbed by the ASI in both the monuments at the time of taking over?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) Hazarduari Palace and Imambara were declared as monuments of national importance by the Central Government under siib-sec-tion 3 of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958. These monuments and the precious objects were taken over by the Archaeological Survey of India as per specific request from the Government of West Bengal.

(b) Forty seven working staff members were absorbed *by the* Archaeological Survey of India at the time of taking over.

दरभंगा, बिहार में केन्द्रीय विद्यालय खोला जाना

*373. श्री रामगोपाल यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के दरभंगा जिले में केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक खोला जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) एक केन्द्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन दरभंगा में 1993-94 से कार्य कर रहा है। उक्त जिले में एक और केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लघु उद्योग के अन्तर्गत आइसक्रीम का उत्पादन

*374. श्री राम जेठमलानी :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जनवरी, 1995 को 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में

"आइसक्रीम प्रोडक्शन टू स्टे अंडर एस० एस० आई०" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बहुराष्ट्रिक कंपनियों को आइसक्रीम उत्पादन क्षेत्र में 5 करोड रुपये के पूंजी निवेश की छूट देने और अपने उत्पादन का पचास प्रतिशत निर्यात करने की सुविधा देने से आम दुग्ध उपभोक्ताओं के समक्ष गम्भीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा ;

(ग) यदि नहीं तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या सरकार दुग्ध उत्पादों के भारी निर्यात के कारण देश में दूध का संकट उत्पन्न होने की स्थिति में आम उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए कदम उठाने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वार्षिक उत्पादन के 50 प्रतिशत का निर्यात करने की शर्त के अधीन निवेश सीमा को 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तथापि, उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सरदार सरोवर परियोजना के कार्य को रोकने के लिये आंदोलन

*375. **श्री अजीत जोगी :**
श्री ए०स एस० सुरजेवाला :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना की लागत कितनी है ;

(ख) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ;

(ग) क्या "नर्मदा बचाओ आन्दोलन" से कुछ नेताओं ने इस परियोजना पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार को इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरदार सरोवर परियोजना की अनुमोदित लागत, 1986-87 के मूल्य स्तर पर 6406.04 करोड़ रुपए है।

(ख) इस परियोजना की आयोजना 1989 में की गयी थी; इसे सन 2000 तक पूरा किया जाना है। इसका वास्तविक रूप से पूर्ण निधियों की उपलब्धता होना तथा परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनस्थापन पर निर्भर करता है।

(ग) से (ङ) सरदार सरोवर परियोजना पर चल रहे निर्माण कार्य को बन्द करने की मांग करते हुए नर्मदा बचाओ आन्दोलन के कुछ कार्यकर्ताओं ने 21-11-1994 को भोपाल में अनिश्चित कालीन अनशन शुरू किया। नर्मदा बचाओ आन्दोलन के कार्यकर्ताओं/समर्थकों ने धरना दिया तथा अनिश्चित कालीन अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं के समर्थन में उसी स्थान पर भूख हड़ताल की। केन्द्रीय सरकार ने मामले में हस्तक्षेप किया